

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2 (7)2009/गोप्र/प्रमुवस/

दिनांक दिसम्बर, 2012

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 4(1)कार्मिक/क-2/अंप्र/2006 दिनांक 18.9.2012 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक पत्र 7(3)कार्मिक/क-2/08/पार्ट दिनांक 11.9.2011 के अनुसार रिव्यू डीपीसी/डीपीसी के सम्बन्ध में निर्देश प्रचलित किये गये हैं। इसी अनुक्रम में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.11.2012 द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 की वनपाल से क्षेत्रीय द्वितीय की विभागीय पदोन्नति की बैठक दिनांक 27.8.2009 एवं पुनरावलोकन बैठक दिनांक 3.11.2011 का राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 18.12.2012 को पुनरावलोकन किया गया। इस समिति की अभिशंषानुसार वर्ष 2008-09 की क्षेत्रीय द्वितीय की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित वनपालों को इस कार्यालय के आदेश संख्या सम 4161/सी दिनांक 18.9.2009 द्वारा क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नति दिये जाने के स्थान पर छाया पद सृजित कर पूर्णतया अस्थाई स्थानापन्न (Adhoc) रूप से पदोन्नत किये जाने का आदेश प्रचलित किये जाते हैं :-

| क्र. सं. | नाम वनपाल सर्व श्री | पिता का नाम सर्व श्री | एस.सी/एस.टी | जन्म तिथि | विशेष विवरण |
|----------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1        | 2                   | 3                     | 4           | 5         | 6           |
| 1        | नखता राम            | पूजा राम              | एस.टी.      | 1.1.1962  |             |
| 2        | कान सिंह मीणा       | भंवरी लाल             | एस.टी.      | 7.10.1956 |             |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 18 दिसम्बर, 2012

क्रमांक एफ 2 (7)2009/गोप्र/प्रमुवस/ 7113-21 | c

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक
3. मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर डाउन लोड करने हेतु।
4. उप वन संरक्षक,
5. अध्यक्ष, राजस्थान फोरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन, जयपुर/राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ, जयपुर
6. श्री .....द्वारा उप वन संरक्षक
7. रक्षी पत्रावली

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)

जयपुर